

CONVERSION ORDER

On the application of agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी निवासी एफ-301 महिमा आईरिस अपार्टमेंट II न्यू सांगानेर रोड, जयपुर under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under :-

1. Name of Applicant Khatedar/tenants with Father's/husband's name and complete address
श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी निवासी एफ-301 महिमा आईरिस अपार्टमेंट II न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
 2. Whether the applicant is a member of SC/ST
नहीं
 3. Details of the land converted :
 - (a) Name of the village/Gram Panchyat/ Tehsil
ग्राम भूरटिया, ग्राम पंचायत लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक
 - (b) Khasra No. of the land alongwith area of each Khasra No. (in hectare)
खसरा नम्बर 1244/3 रकबा 12.04 बीघा
 - (c) Area converted (in hectare or wq.intr) ind
खसरा नम्बर 1244/3 रकबा 12.04 बीघा में से रास्ते हेतु समर्पण की गई भूमि रकबा 0.11 बी० के उपरान्त अवशेष रकबा 11.13 बी० यानि 29466.11 वर्गमीटर
 - (d) Indicating the area of each Kharsa No.
खसरा नम्बर 1244/3 रकबा 12.04 बीघा में से रास्ते हेतु समर्पण की गई भूमि रकबा 0.11 बी० के उपरान्त अवशेष रकबा 11.13 बी० यानि 29466.11 वर्गमीटर
- Note : A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non-agricultural purpose is enclosed.
संलग्न नक्शा ट्रेस/संलग्न ले आउट प्लान अनुसार
4. Purpose of conversion
आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ
 5. Rate of Conversion charges payable
डीएलसी दर 225000/- रुपये प्रति बीघा से रकबा 11.13 बीघा यानि 29466.11 वर्गमीटर भूमि की कुल कीमत राशि 2621250/-रुपये की 7.5 प्रतिशत रूपान्तरण शुल्क राशि 196594/-रुपये जबकि 7.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से रूपान्तरण शुल्क 220996/-रुपये होता है, जो देय है।
 6. Amount of premium deposited with No. and date of challan
मद 0029 भू-राजस्व में जरिये ई-चालान नम्बर 0013195798 दिनांक 23.9.16 से दिनांक 26.9.16 को राजकोष में जमा रूपान्तरण शुल्क राशि 50000/- रुपये एवं चालान नम्बर 27416910 दिनांक 8.1.19 से दिनांक 8.1.19 को राजकोष में जमा अन्तर रूपान्तरण शुल्क राशि 170996/-रुपये इस प्रकार कुल जमा रूपान्तरण शुल्क राशि 220996/-रुपये
 7. Amount of penalty deposited, if any, with date and no. of challan
नहीं

8. Amount of interest deposited, if any, with नहीं
date and no. of challan
9. Whether the order issued under Rule 13 नहीं
for regularization.
10. Order particulars, if any नहीं
11. The above conversion order shall be subject to the following conditions :-
 - (i) The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural - purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 - (ii) If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - (iii) No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
 - (iv) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.
 - (v) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार अनुसार ग्राम भूरटिया में एन.एच. 11ए से 1.5 किमी. दूर ग्रामीण सड़क के मध्य से नियमान्तर्गत निर्धारित दूरी 15.00 मीटर छोड़ने की शर्त पर भूमि का रूपान्तरण किया जाता है। अविष्य में उक्त सड़क की चौड़ाईकरण या अपग्रेडेशन किया जाता है तो उस समय के नियम मान्य होंगे।
 - (vi) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.6 (26) रेव.6/2014/33 दिनांक 6.10.2016 के अनुसार नक्शा/प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है। अतः उक्तानुसार ही भूखण्ड आवंटन / विक्रय की कार्यवाही की जावे।
 - (vii) कॉलोनी में नियमानुसार निर्धारित मापदण्डानुसार सड़कें रखी जावे तथा सार्वजनिक सुविधाएँ भी नॉर्मस अनुसार छोड़ी जावे।
 - (viii) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 6 (6) राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावे।

— 56 —

(आर.सी.ढेनवाल)

जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक: एफ 12 (34) राजस्व/रूपान्तरण/16/ 237 — 43

दिनांक :- 17-1-19

प्रति-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1-प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक

2-उपखण्ड अधिकारी, निवाई

3-तहसीलदार, निवाई जिला टोंक को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाने हेतु

4-अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड मालपुरा

5-सरपंच, ग्राम पंचायत, लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक

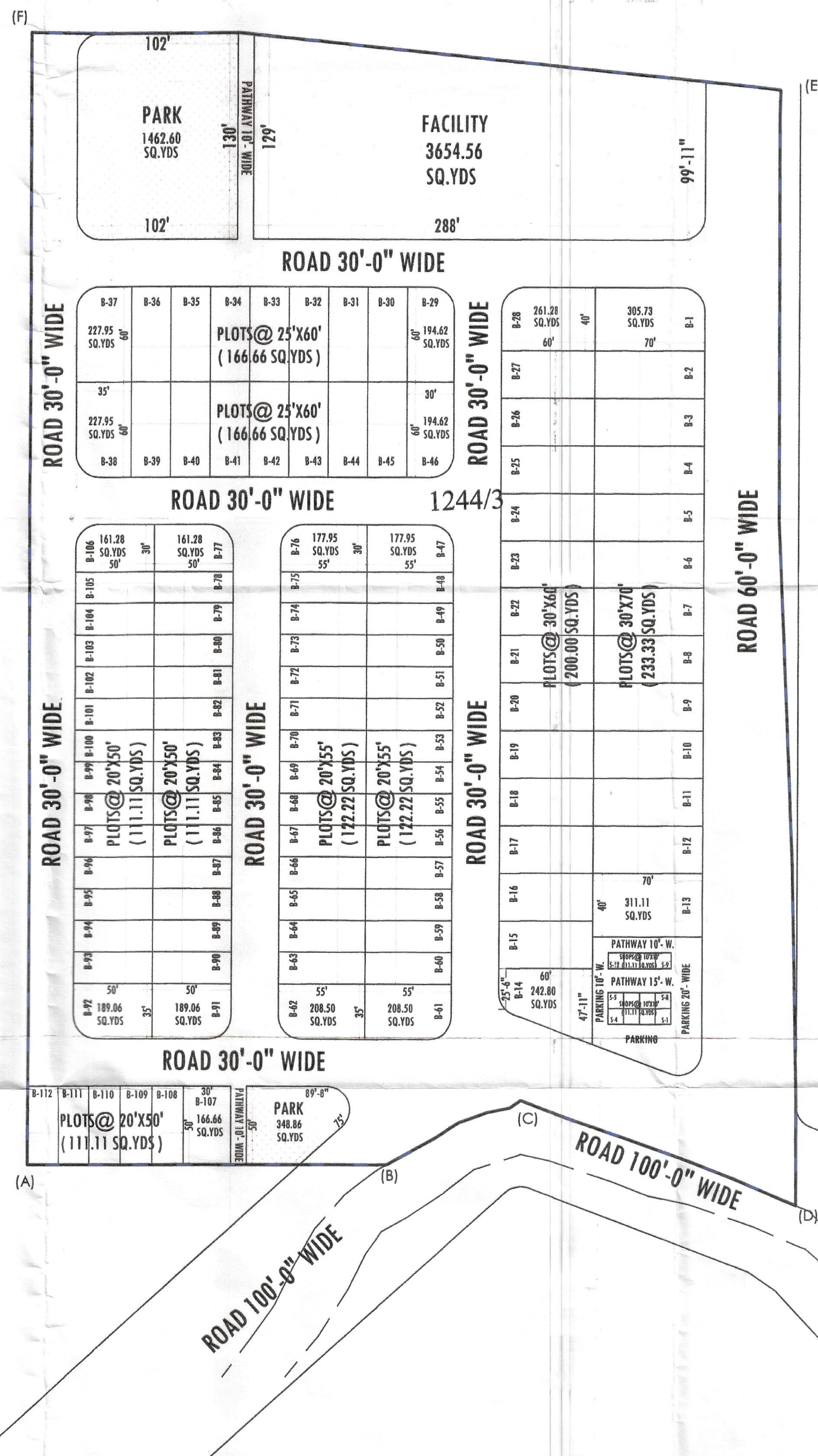
7-श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी निवासी एफ-301 महिगा आईरिस अपार्टमेन्ट II न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

8-रक्षित पत्रावली

— 57 —

जिला कलेक्टर, टोंक

SCALE :- 1" = 50'



Layout/Site Plan Technically Approved as per conditions mentioned in Letter No. A17/1631/TONK/147 Dated 14/2/18

जिला कलेक्टर, टोंक के आश्री ब्रजमोहन एन 12 (अ)
राजस्थान, जयपुर/16/236-43 दिनांक 17-1-19
ले आचार्यजी कोसली प्रेमप्रताप लोपांगतन के लिए
आवेदन सुने धारी कलक 12/4/3 रकबा 12-40 बीघा
ले राखे हेतु समझने की वश आश्री ब्रजमोहन 011 बीघा
के बंगला में बसाया गया 11-13 बीघा जमा 2344/4
नर्सिम्ह आश्री बाले का प्रमाणित एवं निगिरी के ले आश्री ब्रजमोहन
को जिले कलेक्टर द्वारा दिनांक 4-1-19 को आचार्यजी कोसली
पर अनुमोदित किया गया है। ले आश्री ब्रजमोहन बंगला पर अर्थात्
का उपनिर्देश जारी किया गया।

अनुमोदन

जिला दल
दोक (राज)

मेयन
4/2/12
(नियोजित, जूल)
उप नगर नियोजक
अजमेर जोन अजमेर

वरिष्ठ नगर नियोजन
नगर नियोजन विभाग
अजमेर जोन, अजमेर

अतिरिक्त शिक्षा कलेक्टर
गोंय

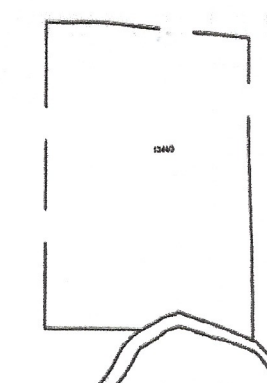
खसरा मानचित्र

खसरा नं. :- 1244/3

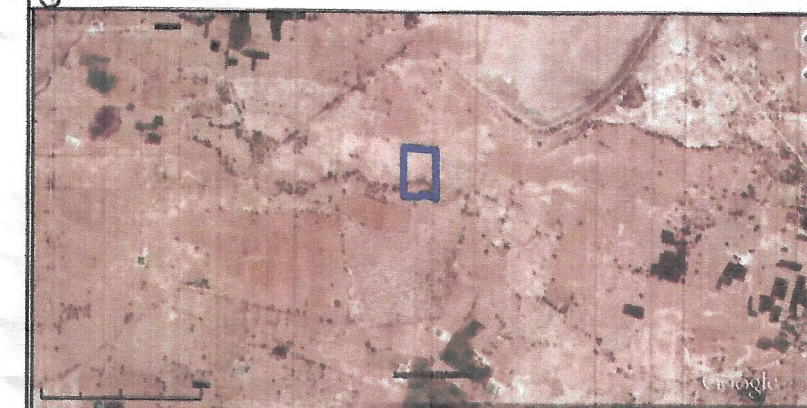
क्षेत्रफल :- 3.085 HECT.

खातेदार का नाम :- SUNIL MAHESHWARI

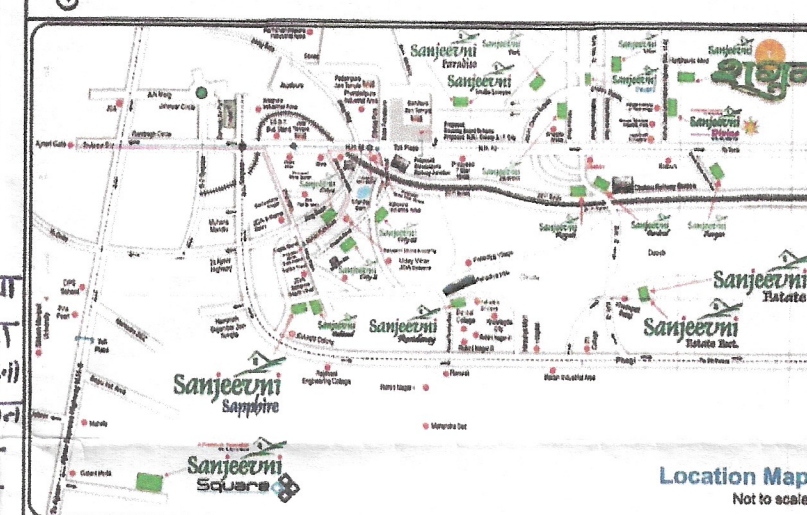
खसरा मानचित्र:-



गूगल मानचित्र :-



पहच मार्ग मानचित्र :-



IN REVENUE VILLAGE BHURTIYA, TEH-NIWAL, TONK

योजना का नाम :-
" SANJEEVNI SHAGUN "

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी वर्गीकरण :-

क्रमांक	पू. उपयोग	क्षेत्रफल (वर्ग मज)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रतिशत (%)
1	आवासीय	17728.69	14823.31	48.04%
2	खुदरा वाणिज्यिक	819.43	517.92	01.68%
3	पार्क	1811.46	1514.80	04.80%
4	पुष्पित्री क्षेत्र	8654.56	3055.56	09.91%
5	सड़क	13087.01	10848.31	35.47%
कुल क्षेत्र (1+2+3+4+5)		36901.15	30853.90	100.00%
TOTAL SCHEME AREA		36901.15	30853.90 (12 Bigha 4 Biswa)	

शीर्षक :-

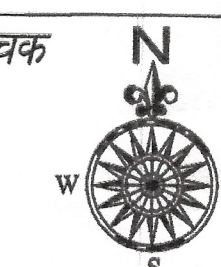
खसरा रेखा :-

योजना सीमा :-

योजना कोणबिन्दु :- (A,B,C,D,E,F)

पैमाना :-

दिशा सूचक



आवेदन :- जिला कलेक्टर. टोंक



301-302, PRISM TOWER, NEAR J.D.A FLAT,
LAKHOTI SCHEME, JAIPUR (RAJ.)
PH.: 0141-4113111, Mob.: 09602360000
Website: www.cadmax.com e-mail: info@cadmax.co.in